



NATIONAL HOUSING BANK

Head Office, New Delhi - 110003.

आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए
सेवानिवृत्त अधिकारियों का पैनल
आवेदन जमा करने की तिथि – 15.02.2025 से

15.03.2025 तक

यह विज्ञापन और आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए वेब लिंक www.nhb.org.in पर

राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास के लिए एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है, जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत की गई है और यह भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय है, जिसके कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम में हैं। बैंक आवास वित्त कंपनियों का पर्यवेक्षक है और विकास वित्त का एक महत्वपूर्ण प्रदाता भी है। बैंक विभिन्न विकासात्मक पहलों, विशेष रूप से ग्रामीण आवास और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास के माध्यम से देश में आवास की कमी को कम करने के लिए संस्थागत निधियों को उत्प्रेरित करना चाहता है। बैंक को देश में आवास वित्त बाजार के समग्र विकास के लिए अधिदेशित किया गया है।

राष्ट्रीय आवास बैंक अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को उनके द्वारा दिए गए पात्र आवास ऋणों के संबंध में प्राथमिक ऋण संस्थाओं (पीएलआई) को पुनर्वित्त प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक और आम जनता के हितों की रक्षा की जाए, राष्ट्रीय आवास बैंक मौजूदा प्रणाली और प्रक्रियाओं की समीक्षा करता रहता है और समय-समय पर प्राथमिक ऋण संस्थाओं को इस संबंध में विभिन्न निर्देश/दिशानिर्देश/परिपत्र जारी करता है। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी आवास वित्त कंपनी के बोर्ड में एक नामित निदेशक नियुक्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

तदनुसार, अपनी आंतरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित

कर रहा है, जैसा कि राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार आवश्यक हो सकता है:

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) और भारतीय रिजर्व बैंक के गिल्ड और उससे ऊपर के रैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी
- केंद्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) प्रशासन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के ग्रुप "ए" रैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी जो लेवल 16 से कम न हों, या
- निजी क्षेत्र के बैंकों में बोर्ड स्तर के अधिकारी या
- पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट / एफसीए प्रैक्टिशनर जिसके पास आवास वित्त कंपनियों के ऑडिट का न्यूनतम 25 वर्ष का अनुभव हो।

I. आवेदन का तरीका

उम्मीदवारों को राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र 15.02.2025 से 15.03.2025 तक निम्नलिखित ई-मेल आईडी पर भेजना होगा। आवेदन जमा करने का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ई-मेल आईडी जिस पर स्कैन किया हुआ आवेदन पत्र जमा किया जाना है:

rod.empanelment@nhb.org.in

अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विधिवत भरे गए स्कैन किए गए आवेदन पत्र को ई-मेल करते समय सभी प्रासंगिक दस्तावेज भी संलग्न किए जाएं।

1. आवेदन कैसे करें

विस्तृत दिशानिर्देश/प्रक्रियाएं-

क आवेदन पत्र डाउनलोड करना

ख स्कैन किया हुआ आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेज भेजना

उम्मीदवार 15.02.2025 से 15.03.2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर अवसर@एनएचबी अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है और इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना होगा और उसके बाद आवेदन पत्र को साफ-साफ भरना होगा। चूंकि भरे हुए स्कैन किए गए आवेदन पत्र को सहायक दस्तावेजों के साथ स्कैन करके rod.empanelment@nhb.org.in ई-मेल आईडी पर भेजना है, इसलिए उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कैन की गई फ़ाइल का कुल आकार 15 एमबी से अधिक न हो।

आवेदन पत्र भरने से पहले ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को चाहिए –

- (i) आवेदन पत्र पर चिपकाने के लिए साफ़ पृष्ठभूमि वाला पासपोर्ट फोटोग्राफ तैयार रखें।
- (ii) बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- (iii) आवेदन पत्र भरना शुरू करने से पहले आवश्यक विवरण/दस्तावेज तैयार रखें।
- (iv) एक वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिसे इस प्रक्रिया के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। बैंक उस पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से सूचना भेज सकता है (जहाँ आवश्यक हो) जिससे आवेदन प्राप्त हुआ है। यदि किसी उम्मीदवार के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे आवेदन करने से पहले अपना नया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बनाना चाहिए और उस ईमेल खाते और मोबाइल नंबर को बनाए रखना चाहिए।
- (v) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन में भरे गए विवरणों को स्वयं सावधानीपूर्वक भरें और सत्यापित करें क्योंकि अंतिम स्कैन किए गए आवेदन पत्र को भेजने के बाद कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा।
- (vi) आवेदन में उम्मीदवार या उसके पिता/पति आदि का नाम सही-सही लिखा होना चाहिए जैसा कि प्रमाण-पत्र/मार्कशीट/पहचान प्रमाण में लिखा है। कोई भी बदलाव/परिवर्तन उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर सकता है।
- (vii) यदि आवश्यक हो तो विवरण संशोधित करें, और कट मार्क्स और ओवरराइटिंग के बजाय नया आवेदन भरें और यह सत्यापित करने के बाद ही कि विवरण सही हैं और आवेदन साफ है, उम्मीदवार को सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन की स्कैनिंग के लिए आगे बढ़ना चाहिए और इसे यहां निर्धारित निर्दिष्ट ई-मेल आईडी पर भेजना चाहिए।
- (viii) अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले आवेदन करें और अंतिम तिथि तक इंतजार न करें ताकि अंतिम क्षण की गड़बड़ियों के

कारण ई-मेल न मिलने/ई-मेल भेजने में असमर्थता/विफलता की संभावना से बचा जा सके।

राष्ट्रीय आवास बैंक उपरोक्त कारणों से या राष्ट्रीय आवास बैंक के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।

कृपया ध्यान दें कि आवेदन जमा करने के लिए उपरोक्त प्रक्रिया ही एकमात्र वैध प्रक्रिया है। आवेदन का कोई अन्य तरीका या अधूरे चरण स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ऐसे आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी अभ्यर्थी के लिए व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी होगी तथा यदि बाद में उसके द्वारा दी गई जानकारी/विवरण गलत पाया जाता है तो वह अभियोजन/सिविल परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

अस्वीकरण:

चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी देने और/या किसी भी जानकारी को छिपाने के मामले सामने आने पर उम्मीदवार को पैनल प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि मौजूदा प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। राष्ट्रीय आवास बैंक में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दिए गए/दिए जाने वाले स्पष्टीकरण/निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

(इस विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण बैंक की अंग्रेजी वेबसाइट पर उपलब्ध है. किसी भी विवाद की स्थिति में विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।)

नई दिल्ली

10.02.2025

महाप्रबंधक
पुनर्वित्त परिचालन विभाग